21/10/24	पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज लगवाई गई। वादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण को प्रतिवादी सं. 4,5 व 7 के बाबत कार्यवाही हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया है परन्तु उनकी ओर से बाबत कार्यवाही नहीं की गई। आज वादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अतः दावा वादीगण अदम हाजरी - अदम पैरवी तथा O.9 R.5 CPC के तहत न्यायालय आदेश की पालना नहीं किये जाने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार रिकॉर्ड दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)